बाइपास सर्जरी के लिए कोई पैसा नहीं लेता । प्राइवेट वार्ड में दाखिल किए गए रोगियों से आपरेशन प्रभारों के रूप में पांच हजार रुपये की धनराशि ली जाती है । वैसे, सभी रोगियों को कारोनरी बाई-पास सर्जरी के दौरान उपयोग की गई डिस्पोजेबल मदें प्रदान करने की आवश्यकता होती है । जहां तक जी. बी. पन्त अस्पताल का संबंध है, सामान्य वार्ड में दाखिल किए गए रोगियों से कारोनरी बाई-पास सर्जरी के लिए कोई धनराशि नहीं ली जाती है। वैसे, यदि रोगी को उपचर्या-गृह में दाखिल किया जाता है, तो उक्त शल्य चिकित्सा के लिए केवल तीन सौ रुपये की धनराशि ली जाती है ।

(ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सी.टी.वी.एस. विभाग द्वारा डामिया धर्मार्थ न्यास को अप्रयुक्त पैसे को वापिस न करने के बारे में माननीय संसद् सदस्य से 27-8-91 और 7-11-91 को शिकायतें प्राप्त हुई थीं । वैसे ये शिकायतें अधिक पैसा लेने से संबंधित नहीं थी बल्कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सी.टी.वी.एस. विभाग द्वारा कथित वित्तीय अनियमितता से संबंधित थीं । अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा यह सूचित किया गया है कि इस मामले का अब निपटान कर दिया गया है और इस चूक के लिए उत्तरदायी कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) जी, हां । अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा यह सूचित किया गया है कि लिपिक वर्गीय स्टाफ का एक सदस्य जो सी.टी.वी.एस. रोगियों के लिये रोपण और अन्य उपभोज्य सामग्री की व्यवस्था करने का कार्य कर रहा था, रोगियों द्वारा जमा की गई लगभग 5 लाख रुपये की नकद धनराशि उनके पास पाई गई जिसके बारे में वह कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका। उसे 26-9-91 को निलंबित कर दिया गया है और एक समिति द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। इस लेन देन से संबंधित लेनदारों और देनदारों तथा संपत्तियों और परिसंपत्तियों के ब्यौरों का हिसाब लागने और उनका मिलान करने के लिये इस संस्थान द्वारा एक दूसरी समिति का गठन किया गया है । इस मामले को पुलिस को सौंपने अथवा विभागीय जांच का आयोजन करने के लिये कोई निर्णय लेने से पहले इन ब्यौरों का पता लगाये जाने की आवश्यकता है

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हड़ताल

2861. **श्री अनन्तराम जायसवाल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कार्डियो थोरेसिस वैस्कुलर सर्जरी संकाय तथा उस विभाग के विरुद्ध रेजिडट डाक्टरों की पिछली हड़ताल से संबंधित तथ्यों, परिस्थितियों और अन्य मामलों के बारे में सरकार ने अगस्त, 1991 में कोई जांच किये जाने का आदेश दिया था; और

(ख) क्या सरकार ने उक्त जांच कार्य को पूरा कर लिया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और यदि नहीं, तो इस समय यह किस चरण में है तथा इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) जी, हां। विचारार्थ विषय से संबंधित केवल एक अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है और शेष विचारार्थ विषयों की जांच चल रही है।

2862. *[Transferred to the 19th December, 1991]*